24.06.2021

पत्रावली आज दिनांक 24.06.21 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम उपस्थित। अप्रार्थीगणों की ओर से आज कोई उपस्थित नही। अप्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता को तीन–तीन बार आवाजे लगवायी गयी। बावजूद आवाज लगाने पर भी अप्रार्थीगणों की ओर से उनके अधिवक्ता व अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित नही आये। अतः अप्रार्थीगणों के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रकरण में पूर्व में अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में न तो उपस्थिति दी है न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है। अतः साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर बंद कर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 20.02.07 को यथावत रखा जाता है। चूंकि इस प्रकरण में कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) के आदेश क्रमांक /रसद/अभि./2007/21 दिनांक 16.1.2007 से कब्जे सरकार लिये गये 2825 लीटर डीजल को मैसर्स सुरेन्द्र कुमार जिनेन्द्रकुमार अधिकृत रिटेल आउटलेट भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एन.एच.14 ग्राम सिंदरथ तहसील सिरोही को सुपुर्दगी में दिया जा कर कुल अमानत राशि रूपये 96,245.00/– (अक्षरे रुपये छियानवे हजार दो सौ पैतालिस मात्र) राजकोष मे अमानत मद मे जमा कराने का आदेश दिया गया था, जिसे अब उचित आय लेखामद में जमा करवाने के आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी, सिरोही अपने स्तर से राशि जमा करवाने की कार्यवाही 7 दिवस में पूर्ण कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

388
28/06/2021

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर,सिरोही
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner